समेकित बाल संरक्षण योजना

(केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित)

बच्चों की सम्पूर्ण सुरक्षा एंव देखरेख के लिऐ हम हमेशा तत्पर है।

जिला बाल संरक्षण इकाई, हिसार

बाल संरक्षण नीति

तकनिकी सहायता

सेव द चिल्ड्रन एंव मराईडो

बाल संरक्षण नीति

जिला बाल संरक्षण सोसायटी, हिसार द्वारा तैयार ये बाल संरक्षण नीति हर बच्चे के अधिकारों का सरक्षण करने, उन्हे सुरक्षा देने एवं बाल उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रतिबद्व है ।

बच्चों को शोषण से बचाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता :–

1.हमारे मूल्य, सिद्वान्त एवं मान्यताऐं

- बच्चों को शोषण एवं उत्पीड़न से अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। बच्चों का शोषण स्वीकार्य नहीं है।
- वह बच्चे, जिनके साथ/जिनके लिए हम काम कर रहे है उन्हे सुरक्षा देना हमारी प्रतिबद्धता है।

2. हम क्या करेंगे ?

निम्न माध्यमों द्वारा बच्चों को सुरक्षा देने में अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे।

जागरूकता – हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग, बच्चों के शोषण की समस्या से अवगत हो सकें एवं उससे होने वाले खतरों को समझ सकें।

बचाव – जागरूकता एवं अच्छी आदतों के द्वारा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग बच्चों पर होने वाले खतरों को कम कर सकें।

रिर्पोटिंग – हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोगों में यह समझ बन सके कि बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हे क्या कदम उठाने हैं।

कार्यवाही – हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों के साथ शोषण होने की परिस्थिति में उन्हें सुरक्षा एवं सहयोग देने में उचित मदद एवं कार्यवाही की जाये।

इस विधि संचालन को लागू करने का संकल्प करे क्योकि यह अनिवार्य है व इसका उल्लंधन स्वीकार्य नहीं है ।

बच्चों के साथ काम करने वाले लोग कभी भी –

- किसी भी बच्चे को शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीड़ित न करें तथा औरों की नजर से दूर अकेले में न रखे ।
- बच्चों के साथ कोई भी ऐसा रिश्ता न बनाएं जिससे उनका शोषण या उत्पीड़न ना हो।

- बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे या उन्हे ऐसी स्थिति में न होने दे जहां उन्हे खतरा हो।
- ऐसी भाषा, सुझाव या सलाह न दे जो बच्चों के लिए हितकर न हो।
- बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता देख चुप न रहे, उसे रोके व तुरन्त कार्यवाही करे ।
- बच्चों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वह काम न करे जिसे वो खुद से करने मे सर्मथ अथवा कर सकते है।
- बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव न करे जो कि उन्हे नीचा दिखाए, उनका मजाक उड़ाए, या उन्हें शर्मिदगीं का अहसास दिलाए।
- बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना करें।
- बच्चों से नशीले पदार्थ नही मंगवाये व न ही उनके सामने सेवन करें।
- बच्चों को अश्लील चित्र एवं साहित्य नही दिखायें व उनके सामने अश्लील मजाक नही करें।
- बच्चों की बात को ध्यान से सुने व उचित जवाब दें।
- बच्चों को किसी तरह से डरायें नहीं।
- बाल विवाह में भाग नही लें।
- बच्चों से सम्बन्धित निर्णय लेते समय बच्चों की राय जाने।
- जाति सूचक शब्दो का प्रयोग ना करें।
- बच्चों से निजी स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य नही करवाये।
- बच्चों को सुनसान एवं खतरनाक जगहों पर ना तो अकेले कहीं भेजें अथवा बुलाऐं।
- बच्चों के ऐसे व्यवहार जो कि गैर कानूनी, असुरक्षित एवं अनुचित हो का बढावा या माफी अथवा सहभागी ना बने।

यह सूची अपने में पर्याप्त नहीं है। मूल सिद्वान्त यह है कि ऐसी गतिविधि या व्यवहार न करे जो कि बाल संरक्षण का उल्लंधन करता हो।

बाल संरक्षण नीति का उल्लंधन होता देख तत्काल प्रभाव से सुचना दे।

1	जिला बाल संरक्षण सोसायटी, हिसार	01662234344	5	जिला बाल संरक्षण अधिकारी, हिसार	08053372033

2	विशेष किशोर पुलिस ईकाई, हिसार	01662230011	6	बाल कल्याण समिति, हिसार	09416210025
3	जिलाधिकारी, सेव द चिल्ड्रन	8199934480	7	पुलिस	100
4	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	01722561761	8	महिला हेल्प लाईन	1091

डायल करे (1098) निशुल्क फोन नम्बर चाईल्ड लाईन के माध्यम से आपातकालीन मे कठिनाईयों से घिरे/ पीड़ित/ उपेक्षित लावारिस/ प्रताड़ित बच्चों को आपातकाल सुरक्षा प्रदान करने के लिऐ निशुल्क फोन नम्बर।